न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 04/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–02.01.2025

1. किशनलाल आ0 बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. डालू आ0 बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

1/1. रामदेव पुत्र डालू जाति जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

1/2. रामबाबू पुत्र डालू जाति जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

1/3. गणेशीबाई पत्नी डालू जाति जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

2. बरधी पुत्री बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. शांति पुत्री बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. सुमित्रा पुत्री बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

दिनांक :– 30/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 252/578 रकबा 0.1214 हैक्टेयर वाके ग्राम दांता पटवार हल्का बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। भूमि खसरा संख्या 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 92 कुल किता 10 कुल रकबा 3.5937 हैक्टेयर वाके ग्राम कुण्डला पटवार हल्का बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना है। भूमि खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

132 रकबा 0.1295 हैक्टेयर गे0मु0 चाह वाके ग्राम कुण्डल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम किशनलाल है, लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम किशन पुत्र बजरंगा दर्ज किया हुआ है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में उक्त इन्द्राज अशुद्ध है। प्रार्थी के नाम के इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज है और जमाबंदी में लेखन की त्रुटि से किशन, किशना पुत्र बजरंगा दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का शुद्ध नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल है। प्रार्थी ने पी0एम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने हेतु ई–मित्र पर गया लेकिन जमाबंदी में दर्ज नाम व पहचान के दस्तावेजात में दर्ज नाम की भिन्नता के कारण आवेदन करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी ने पहचान के दस्तावेजात के अनुरूप जमाबंदी में नाम शुद्ध करने हेतु व नाम के इन्द्राज को सही दर्ज करने हेतु तहसीलदार सा0 हिण्डोली के समक्ष दिनांक 24.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उन्होंने न्यायालय के आदेश के बिना इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 24.12.2024 को मना कर देने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किशन पुत्र बजरंगा के स्थान पर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किशना पुत्र बजरंगा के स्थान पर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल का इन्द्राज करवावे। राज्य सरकार द्वारा नामों में दर्ज अशुद्धियों व त्रृटियों को दुरूस्त करने के आदेश जारी किये हुए है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने नाम की अशुद्धियों को दुरूस्त नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम के इन्द्राज की अशुद्धि को शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। भूमियॉ ग्राम दांता व कुण्डल पटवार हल्का बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बजरंगलाल जी के वारिस है इसलिए बजरंगलाल जी के वारिसान को पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बजरंगलाल जी के पुत्र गोपी व पुत्री गोरधनी का देहांत हो जाने से इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 252/578 रकबा 0.1214 हैक्टेयर वाके ग्राम दांता के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किशन पुत्र बजरंगा के इन्द्राज को दुरूस्त कर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 92 कुल किता 10 कुल रक़बा 3.5937 हैक्टेयर व खसरा संख्या 132 रकबा 0.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

वाके ग्राम कुण्डला के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किशना पुत्र बजरंगा के इन्द्राज को दुरूस्त कर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 12 को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल शुद्ध किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0 दी0 का स्वीकार हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 12 को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल शुद्ध किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :- राजस्व/25/869 दिनांक :-23.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कुण्डला पटवार मण्डल बडौदिया के खाता संख्या 69 में दर्ज अपने नाम किशन पुत्र बजरंगा व खाता संख्या 11 व 19 ग्राम कुण्डला में दर्ज अपने नाम किशना पुत्र बजरंगा के स्थान पर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज करवाना चाहता है, जिसके संबंध में मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों व सहखातेदारान द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार किशना पुत्र बजरंगा व किशन पुत्र बजरंगा एवं किशनलाल पुत्र बजरंगलाल एक ही व्यक्ति के नाम है जिनको किशना पुत्र बजरंगा व किशन पुत्र बजरंगा के स्थान पर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार मुताबिक जॉच तहसीलदार हिण्डोली के आधार पर अपने जबाव में प्रार्थी का नाम किशन पुत्र बजरंगा व किशना पुत्र बजरंगा के स्थान पर सही नाम किशलाल पुत्र बजरंगलाल शुद्ध दर्ज किया जाना सही बातया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल है, जिसको मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र बजरंगलाल अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण/पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम कुण्डला पटवार मण्डल बडौदिया के खाता संख्या 69 में दर्ज किशन पुत्र बजरंगा व खाता संख्या 11 व 19 ग्राम कुण्डला पटवार मण्डल बडौदिया में दर्ज किशना पुत्र बजरंगा के स्थान पर किशनलाल पुत्र बजरंगलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446